



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

29.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 838/22 धारा 147/148/452/323/307/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी हनीप पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत ने सूचना दी कि मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत के अभियुक्तगण 1.खलील पुत्र अब्दुल रहमान, 2.इमरान पुत्र सत्तार, 3.आसिफ पुत्र खलील, 4.युनुस पुत्र सत्तार, 5.खलील पुत्र अब्दुल



रहमान व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर उसके घर में घुसकर हाथों में लाठी-डण्डे व लोहे की रोड से उसके व उसके भाई के ऊपर जान से मारने की नीयत से प्रहार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 838/22 धारा 147/148/452/323/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 838/22 धारा 147/148/452/323/307/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-खलील पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-इमरान पुत्र सत्तार निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-आसिफ पुत्र खलील निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29-08-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-सोनू पुत्र धर्मवीर निवासी मौहल्ला कश्यप कालोनी करबा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का० 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत ।

3-का० 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 29.08.2022

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाना सीधी जनपद सहडौल मध्यप्रदेश से गुमशुदा 13 वर्षीय एक बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाना सीधी जनपद सहडौल मध्यप्रदेश से गुमशुदा 13 वर्षीय एक बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना दोघट ।
2. का0 1077 सन्तोष कुमार ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 29.08.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- अरशद पुत्र जमील निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना रमाला ।

2- है0का0 88 रामअवतार थाना रमाला ।

3- का0 23 अजयपाल थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 29.08.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/21 धारा 380/411 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.10.2021 को थाना रमाला पर श्री अनिल कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि जावेद व उसके साथियों ने मिलकर किशनपुर बराल में उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान से रेडीमेड कपडे व रुपये चोरी कर लिये है। इस संबंध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 191/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/21 धारा 380/411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा पुर्व में चोरी का सामान बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आकाश पुत्र सतपाल निवासी कनियान थाना कांधला जनपद शामिली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला ।

2- का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 29.08.2022

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 288/22 धारा 457/380/511 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी अय्यूब पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर का गेट खोलकर घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया जिसमें एक अभियुक्त विकास उर्फ जोनी पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर को वादी व गांव के लोगों द्वारा मौके पर पकड कर थाना सिंघावली अहीर लाया गया था । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 288/22 धारा 457/380/511 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 288/22 धारा 457/380/511 भादवि में वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त बाबू पुत्र लीलू को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पुर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- बाबू पुत्र लीलू निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।

2-का0 357 अनुज शर्मा ।